भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 107

09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कुष्ठ रोग के मामले

***107. श्री टी.आर. बालू:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत में कुष्ठ रोग से संबंधित नि:शक्तता वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इस तथ्य के मद्देनजर कि विश्वभर में इस रोग से पीड़ित होने वाले 57 प्रतिशत नए रोगियों का निदान देश में किया जाता है, क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं;

(ग) क्या सरकार देश में अभिज्ञात कुष्ठ रोगियों को दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने और अनुवर्ती कार्रवाई जारी रखने के लिए टेलीमेडिसिन पहल 'ई-संजीवनी' का विस्तार करने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

09 फरवरी, 2024 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.107 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): भारत ने 10,000 की जनसंख्या पर 1 से भी कम मामले के विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदंड के अनुसार जन स्वास्थ्य समस्या के तौर पर कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लक्ष्य को राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2005 में हासिल कर लिया है। भारत में वर्ष 2022-23 में कुष्ठ रोग के कुल 103819 नए मामलों की रिपोर्ट मिली है जिनमें से ग्रेड 2 विकलांगता (जी2डी) के मामले 2363 (2.28%) थे जो विश्व के जी2डी के नए मामलों की संख्या के 25% के बराबर हैं। विगत कुछ वर्षों में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनएलईपी) के अंतर्गत शुरू किए गए विभिन्न उपायों के चलते, कुष्ठ रोग के कारण विकलांग हुए व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2014-15 की 5794 (4.61%) के मुकाबले वर्ष 2022-23 में कम होकर 2363 (2.28%) रह गई है।

भारत सरकार ने कुष्ठ रोग के कारण होने वाली ग्रेड 1 या ग्रेड 2 की विकलांगताओं की रोकथाम के लिए देश में कुष्ठ रोग के मामलों का शीघ्र पता लगाने की प्रक्रिया को और अधिक गहन किया है। संशोधित राष्ट्रीय कार्यनीतिक योजना 2023-27 में किए गए विभिन्न उपाए निम्नानुसार हैं:-

(i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष में दो बार कुष्ठ रोग मामला पहचान अभियान **(एलसीडीसी)**।

(ii) बच्चों (0-18 वर्ष) में कुष्ठ रोग की जांच (स्क्रीनिंग) को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) और राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) के साथ एकीकृत किया गया है।

(iii) 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में कुष्ठ रोग की जांच (स्क्रीनिंग) को आयुष्मान भारत के अंतर्गत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के जांच क्रियाकलापों के साथ एकीकृत किया गया है।

(iv) कुष्ठ रोगी के संपर्क में आने वाले व्यक्ति की गहन पड़ताल और अभिसूचक (इंडेक्स) मामले के संपर्क में आने वाले पात्र व्यक्तियों को पोस्ट एक्सपोज़र प्रोफीलैक्सिस (पीईपी) (रोगनिरोधी दवा) खिलाना ताकि संक्रमण के प्रसार की श्रंखला को तोड़ा जा सके।

(ग) और (घ): वर्ष 2019 में, भारत सरकार ने सभी प्रचालनरत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) (जिन्हें पहले स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र कहा जाता था) में ग्रामीण/दूर दराज़ की आबादी को डॉक्टर-से-डॉक्टर परामर्श अर्थात् विशेषज्ञ चिकित्सा परिचर्या देने के लिए ई-संजीवनी एप्लीकेशन शुरू की है। यह एप्लीकेशन हब और स्पोक मॉडल पर कार्य करती है। हब स्तर पर एक विशेषज्ञ डॉक्टर आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में सेवाएं प्रदान करता है। ई-संजीवनी एप्लीकेशन ओपीडी मॉड्यूल में भी उपलब्ध है और इसे इन्स्टॉल करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ये सेवाएं प्राप्त करता है। फिलहाल, टेलीमेडिसिन के ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म को कुष्ठ रोग के प्रतिपुष्ट मामलों के अनुवर्ती उपचार (फोलोअप) के लिए एनएलईपी के साथ जोड़ने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि फोलोअप के लिए एनएलईपी की अपनी स्वयं की अंतर्निहित प्रणाली है और इसमें कुष्ठ रोगियों के पूर्ण उपचार के लिए नि:शुल्क दवाओं की आपूर्ति की अच्छी व्यवस्था की गई है।

*****